न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या– 59/2012–13 अन्तर्गत धारा–333 जमींदारी विनाश अधिनियम।

श्री अब्दुल खलिक आदि

–बनाम–

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर, देहरादून आदि

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।
अधिवक्ता उत्तरदाता राज्य सरकार : श्री एल0डी0 थपलियाल।
उपस्थिति : श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0 अध्यक्ष।

बावत
खाता संख्या–877 खसरा नम्बर–656 रकबा 1.46 एकड़
नया नम्बर–982ख क्षेत्रफल 0.5910 है0
मौजा ढकरानी, परगना पछवादून
तहसील विकासनगर जिला देहरादून।

निर्णय

यह निगरानी विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी,विकासनगर द्वारा वाद संख्या–15 वर्ष 1006–07 अन्तर्गत धारा–166/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम सरकार बनाम गोल्डन फारेस्ट आदि में पारित निर्णयादेश दिनांक 21–12–2012 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12–04–2007 को बलविन्द्र जीत स्याल द्वारा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त भूमि गोल्डन फारेस्ट कम्पनी के पक्ष में विकय की गई है जिसका पंजीकरण उप निबन्धक, देहरादून के कार्यालय में दिनांक 10–12–91 को हुआ है। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर ने अपने निर्णयादेश दिनांक 15–06–2007 से वादग्रस्त भूमि को दाखिल खारिज तथा कय विकय पर रोक लगाए जाने के आदेश पारित किए। इस वाद में निगरानीकर्ता ने दिनांक 23–10–2009 को अपनी आपत्ति प्रस्तुत की जिसमें उल्लेख किया गया कि उन्होंने उक्त भूमि दिनांक 04–07–2005 को मदरसा इस्लामिया अजिजिया ग्राम ढकरानी द्वारा मदरसा शरीफ पुत्र जहूर से कय करने के उपरान्त काश्त करता चला आ रहा है व उपरोक्त भूमि में से 0.0177 है0 भूमि विकय पत्र दिनांक 02–09–2005 से श्रीमती वशीरी पत्नी मजीद को विकय की हुई है ओर उनके द्वारा गोल्डन फारेस्ट को कोई भूमि विकय नहीं की गई। उपरोक्त भूमि किसी फर्जी व्यक्ति द्वारा गोल्डन फारेस्ट को विकय की गई है। निगरानीकर्तागण ने अपनी आपत्ति में यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने गोल्डन फारेस्ट को विकय की गई भूमि के बावत निष्पादित विकय पत्र दिनांक 10–12–91 को अवैध, शन्य व निष्प्रभावी घोषित करने हेतु एक वाद संख्या–258/09 न्यायालय द्वितीय अपर सिविज जज(सी0डी0), देहरादून में दायर किया जो दिनांक

06–12–2008 को स्वीकार होकर विक्रय पत्र दिनांक 10–12–91 को शून्य व अवैध घोषित किया जा चुका है जिस कारण प्रश्नगत भूमि पर धारा–166/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के प्राविधान लागू नहीं होते हैं। पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर ने अपने निर्णयादेश दिनांक 21–12–2012 से वादग्रस्त भूमि को अन्तिम रूप से राज्य सरकार में निहित किए जाने के आदेश पारित किए गए। इस आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता ने यह निगरानी इस न्यायालय में योजित की है।

अधिवक्ता पक्षकारों के तर्क सुने गये एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावलियों का सम्यक अध्ययन किया गया।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि का वास्तविक स्वामी मंगलू था जिससे शरीफ पुत्र जहूर मुन्तजिम ने भूमि क्रय की थी और अपर तहसीलदार के आदेश दिनांक 17–07–1987 से विक्रेता मंगलू का नाम खारिज होकर केता शरीफ का नाम अभिलेखों में दर्ज हुआ। प्रश्नगत भूमि पर कभी भी किसी अली हसन पुत्र ईलाहीबख्श का कोई सम्बन्ध नहीं रहा। अली हसन नाम का व्यक्ति कभी मदरसे का प्रबन्धक नहीं रहा इसलिए उसके द्वारा प्रस्ताव संख्या–17 दिनांक 09–12–91 के आधार पर गोल्डन फारेस्ट कम्पनी को भूमि विक्रय करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अली हसन नाम के व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर विक्रय पत्र दिनांक 10–12–91 सम्पादित कराया जो प्रथम दृष्टया ही आधारहीन, निष्प्रभावी एवं शून्य है। अली हसन द्वारा सम्पादित विक्रय पत्र दिनांक 10–12–91 को अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित कराने हेतु निगरानीकर्ता ने न्यायालय सिविल जज द्वितीय, सीनियर डिवीजन, देहरादून के समक्ष वाद संख्या–258 वर्ष 2007 अब्दुल खलिक बनाम मदरसा इस्लामिया अजीजिया आदि योजित किया जिसमें गोल्डन फारेस्ट कम्पनी आदि भी पक्ष बनाये गये थे। सिविल जज द्वारा दिनांक 06–12–2008 को वाद को गुणदोष के आधार पर निर्णीत करते हुए गोल्डन फारेस्ट कम्पनी को सम्पादित विक्रय पत्र दिनांक 10–12–91 को पूर्णतया शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया गया। जिस विक्रय पत्र को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जा चुका है उस विक्रय पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार में निहित किए जाने का आदेश दिनांक 21–12–2012 पूर्णतया क्षेत्राधिकार से बाहर एवं अवैध है। जिस विक्रय पत्र को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया जा चुका है उसके आधार पर भूमि को धारा–166/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के तहत राज्य सरकार में निहित किए जाने सम्बन्धी आदेश दिनांक 21–12–2012 प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य है। निगरानी स्वीकार किए जाने एवं अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 21–12–2012 निरस्त होने योग्य है।

प्रतिपक्षी राज्य सरकार की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि विक्रय पत्र दिनांक 10–12–91 से गोल्डन फारेस्ट कम्पनी को विक्रय की गई है। निगरानीकर्ता ने सिविल न्यायालय में योजित वाद में राज्य सरकार को पक्षकार नहीं

बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय में निगरानीकर्तागण पक्षकार नहीं थे अतः उन्हें निगरानी प्रस्तुत किये जाने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। निगरानी निरस्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय की वाद पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर ने एक व्यक्ति बलविन्द्र जीत स्याल के इस आशय के प्रार्थना पत्र कि वादग्रस्त भूमि गोल्डन फारेस्ट कम्पनी को विक्रय की गई है जिसका विक्रय पत्र दिनांक 10–12–91 को गोल्डन फारेस्ट के पक्ष में सम्पादित हुआ है के आधार पर अपने आदेश दिनांक 15–05–2007 से वादग्रस्त भूमि के क्रय विक्रय एवं दाखिल खारिज पर रोक लगाने के आदेश पारित किए गए। निगरानीकर्तागण ने इस वाद में एक प्रार्थना पत्र/आपत्ति दिनांक 23–10–2009 को प्रस्तुत की जिसमें उल्लेख किया गया कि आपत्तिकर्तागण को दिया गया नोटिस निराधार एवं गैर कानूनी है। निगरानीकर्तागण/आपत्तिकर्तागण ने उक्त भूमि विक्रय पत्र दिनांक 04–07–2005 को शरीफ पुत्र जहूर से क्रय की है तथा क्रय की दिनांक से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। आपत्तिकर्तागण ने उक्त भूमि कभी भी गोल्डन फारेस्ट कम्पनी को विक्रय नहीं की है। उक्त भूमि विक्रय पत्र दिनांक 10–12–91 को किसी फर्जी व्यक्ति अली हसन पुत्र इलाहीबख्श द्वारा अपने आपको मदरसा इस्लामिया अजिजिया का सदर बताकर गलत तरीके से गोल्डन फारेस्ट कम्पनी को विक्रय की है, जबकि अली हसन कभी भी मदरसा इस्लामिया का सदर या पदाधिकारी नहीं रहा है। आपत्तिकर्ता ने गोल्डन फारेस्ट कम्पनी के पक्ष में सम्पादित उक्त विक्रय पत्र दिनांक 10–12–91 को अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित कराने हेतु एक वाद संख्या–258/2007 न्यायालय द्वितीय अपील सिविल जज(सी0डी0), देहरादून में दायर किया जो दिनांक 06–12–2008 को निर्णीत हुआ जिसमें गोल्डन फारेस्ट कम्पनी के पक्ष में सम्पादित विक्रय पत्र दिनांक 10–12–91 को पूर्णतया कूटरचित, शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया गया। आपत्तिकर्तागण/निगरानीकर्तागण ने अपनी आपत्ति दिनांक 23–10–2009 के साथ द्वितीय अपर सिविल जज, देहरादून के आदेश की प्रमाणित प्रति भी दाखिल की। विद्वान सहायक कलेक्टर ने वाद में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की विधिक राय भी प्राप्त की। पक्षकारों की सुनवाई पश्चात विद्वान सहायक कलेक्टर ने अपने निर्णयादेश दिनांक 21–12–2012 से वादग्रस्त भूमि को धारा–166/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अन्तिम रूप से राज्य सरकार में निहित किए जाने एवं आपत्तिकर्तागण/निगरानीकर्तागण की आपत्ति निरस्त की गई। इस आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्तागण ने यह निगरानी इस न्यायालय में योजित की है।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया अवलोकन से ही यह स्पष्ट है कि एक व्यक्ति अली हसन ने वादग्रस्त भूमि को विक्रय पत्र दिनांक 10–12–91 से गोल्डन फारेस्ट कम्पनी के पक्ष में विक्रय किया गया। निगरानीकर्तागण को जानकारी होने के उपरान्त उन्होंने अली हसन द्वारा गोल्डन फारेस्ट कम्पनी के पक्ष में सम्पादित विक्रय पत्र को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित

कराने हेतु अपर सिविल जज(सी0डी0), द्वितीय, देहरादून के न्यायालय में वाद संख्या–258/2007 अब्दुल खालिक आदि बनाम मदरसा इस्लामिया अजिजिया आदि योजित किया। द्वितीय अपर सिविल जज(सी0डी0), देहरादून ने अपने निर्णयादेश दिनांक 06–12–2008 से विक्रय पत्र दिनांक 05–12–91 जिसका पंजीकरण उप निबन्धक(द्वितीय), देहरादून के कार्यालय में दिनांक 10–12–91 को हुआ को पूर्णतः कूटरचित, शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया गया। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर के न्यायालय में सिविल जज द्वारा पारित निर्णयादेश की प्रति भी निगरानीकर्तागण ने अपनी आपत्ति के साथ प्रस्तुत की परन्तु सहायक कलेक्टर, ने उक्त आदेश जिससे गोल्डन फारेस्ट कम्पनी के पक्ष में सम्पादित विक्रय पत्र को पूर्णतः शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया गया था का पूर्ण रूप से संज्ञान नहीं लिया गया। यह तथ्य विचारणीय है कि जिस विक्रय पत्र के आधार पर निगरानीकर्तागण की वादग्रस्त भूमि पर धारा–166/167 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी वह विक्रय पत्र सिविल जज के आदेश से निरस्त हो चुका है अतः निष्प्रभावी एवं शून्य घोषित विक्रय पत्र के आधार पर निगरानीकर्तागण के विरूद्व जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–166/167 की कार्यवाही विधिक रूप से पोषणीय नहीं है। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर का आदेश त्रुटियुक्त है एवं निरस्त होने योग्य है। जहाँ तक विद्वान शासकीय अधिवक्ता का यह तर्क कि सिविल न्यायालय में योजित वाद में राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है तो इस सम्बन्ध में विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह सिद्व हो सके कि उनके द्वारा सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–12–2008 को पुनर्स्थापित कराने हेतु कोई पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानी बलयुक्त होने के कारण स्वीकार होने योग्य है।

बलयुक्त होने के कारण निगरानी स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 21–12–2012 निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 10 जुलाई, 2014

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।